Sandhya Prakash

A consultation meeting organized with consumers and food industry

उपभोक्ताओं और खाद्य उद्योग के साथ परामर्श कार्यक्रम आयोजित

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल के विकास के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

कंज्यूमर वॉयस ने कई राज्यों में सहयोगी संस्थाओं के साथ साझेदारी में पैकेज्ड फूड पर एक व्यावहारिक एफओपीएल के लिए उपभोक्ताओं और खाद्य उद्योग के साथ परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया । मध्य प्रदेश में, उपभोक्ताओं के साथ इस तरह के परामर्श मार्च 2022 में भोपाल में और 25 जुलाई 2022 को इंदौर में उद्योग प्रबंधकों के साथ आयोजित किए गए थे। अब एफओपीएल / चेतावनी लेबल के लिए सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिए 8 अगस्त 2022 को कोलकाता में उद्योगों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर के परामर्श की व्यवस्था की जा रही है। जिसे स्नस्स्ड्ढ के विचार के लिए अग्रेषित किया जायेगा । एक व्यवहार्य एफओपीएल के विकास की सुविधा के लिए, भारत में हितधारकों के परामर्श का आयोजन किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को स्वीकार्य प्रारूप के माध्यम से अपना भोजन चुनने के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। मध्य प्रदेश में, नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट (ह्रष्ट॥स्श्व) ने कंज्यूमर वॉयस के साथ साझेदारी में मार्च 2022 में भोपाल में %उपभोक्ताओं के लिए अस्वास्थ्यकर पैकेज्ड फूड्स पर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स (एफओपीएल)% विषय पर पहला हितधारकों से परामर्श का आयोजन किया। । नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट ने कंज्यूमर वॉयस एवं इंदौर स्थित सामाजिक संस्था आस के सांझेदारी में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग - इंडस्ट्री की भूमिका पर द्वितीय परामर्श का आयोजन 25 जुलाई 2022 को इंदौर में किया।

भारत में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (एफ.ओ.पी.एल.) की सिफारिश पहली बार 2014 में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा 2013 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। बाद में 2019 में, एफएसएसएआई ने एक मसौदा अधिसूचना खाद्य सुरक्षा मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम जारी किए। मसौदा खाद्य पदार्थों पर रंग-कोडित लेबल को अनिवार्य करता है। 2019 दिसंबर में एफ.एस.एस.ए.आई. ने एफ.ओ.पी.एल. को सामान्य लेबलिंग नियमों से अलग कर दिया। 15 फरवरी 2022 को, एफ.एस.एस.ए.आई. ने (एफ.ओ.पी.एल.) के लिए अपने मसौदा नियमों में स्वास्थ्य-स्टार रेटिंग प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया। हेल्थ स्टार रेटिंग (एचएसआर) प्रारूप (1/2 से 5 स्टार तक) नमक, चीनी और वसा की मात्रा के आधार पर एक पैकेज्ड खाद्य पदार्थ को रैंक करता है, और रेटिंग पैकेज के सामने मुद्रित की जाएगी। इस तरह की रेटिंग भारत में पहली बार होगी और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन चुनने के लिए मार्गदर्शन करना है।गोकुल के नमकीन, अमिताभ बिजनेस कॉरपोरेशन, मोक्ष कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड, राज पैकेजिंग, अग्रवाल नमकीन, ओम नमकीन, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज, सोनी फूड, जायसवाल एंटरप्राइजेज आदि जैसे लोकप्रिय खाद्य तेल,एफ.एम.सी.जी., स्नैक्स और मिठाई के प्रतिनिधियों ने द्वितीय गोलमेज परामर्श में भाग लिया। एफ.ओ.पी.एल. चेतावनी लेबल के बारे में चर्चा की और अपने विचार व्यक्त किए।